न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **156/24 (वाद)**

GCMS No. : 2024/354

उनवान

1. श्री पुष्पेन्द्र सिंह पिता श्री सज्जन सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी थामला, तहसील घासा जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री कैलाश सिंह पिता श्री सज्जन सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी धामला, तहसील घासा जिला उदयपुर (राज०)
3. विष्णु कुंवर पुत्री श्री सज्जन सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी थामला, तहसील घासा जिला उदयपुर (राज)

............वादीगण

बनाम

1. श्री भेरू सिंह पिता श्री गोवर्धन सिंह चुण्डावत जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी कालियास, पो० रायला रोड़, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा (राज०)
2. उमा कुंवर पुत्री श्री गोवर्धन सिंह चुण्डावत जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी कालियास, पो० रायला रोड़, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा (राज०)
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता वादीगण।
2. सुश्री अर्चना हींगड़, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2 ।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठीत धारा 151 सीपीसी वास्ते राजीनामा

निर्णय

दिनांक : 27.05.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खातीखेडा पटवार हल्का थामला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थामला तहसील घासा जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 4713, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722 किता 9 कुल रकबा 2.1773 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता गोवर्धन सिंह पिता नारायण सिंह राजपूत के नाम पर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है [illegible] वसीयतकर्ता श्री गोवर्धन सिंह जी की स्वअर्जित सम्पति थी जिन्होंने [illegible] वसीयत में स्पष्ट रूप से अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:11:29 IST
Reason: SelfAttested

किया हुआ है तथा उक्त आराजी की सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता श्री गोवर्धन सिंह पिता श्री नारायण सिंह जी ने दिनांक 13.09.2004 को वादीगण के पिता श्री सज्जन पिता श्री किशनसिंह जी राजपूत को जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा से दो गवाहो के समक्ष वसीयत कर दी तथा वसीयतनामा वादीगण के पिता श्री सज्जन सिंह के पक्ष में दिनांक 13.09.2004 को साक्षी श्री प्रताप सिंह पिता श्री हरि सिंह जी चौहान राजपूत निवासी थामला एवं श्री मोहनलाल पिता नाथू जी भोई माली के समक्ष अपनी स्वतंत्र इच्छा तथा बिना किसी दबाव से निष्पादित कर पंजीयन उपपंजीयक मावली के कार्यालय में दिनांक 13.09.2004 को पंजीबद्ध करा दिया तथा वसीयतनामे पर वसीयतकर्ता श्री गोवर्धन सिंह जी ने अपने हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी कर दी तथा उक्त दोनो गवाहान ने भी वसीयतनामे पर अपने हस्ताक्षर अगूंठा निशानी कर दी, उक्त वसीयतनामा उपपंजीयक मावली के कार्यालय में दिनांक 13.09.2004 को पुस्तक सं. 3 के जिल्द सं. 3 के पृष्ठ सं. 184 क्रम सं. 15/04 पर पंजीबद्ध किया गया जिसको अतिरिक्त पुस्तक सं. 3 जिल्द सं. 4 पृष्ठ सं. 119 पर चस्पा किया गया है। जो वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत है, वादीगण के पिता श्री सज्जन सिंह चौहान पिता श्री किशनसिंह चौहान का निधन हो चुका है जिनके विधिक वारिसान वादीगण है। सज्जन सिंह की पत्नी का भी निधन हो चुका है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में वसीयतकर्ता श्री गोवर्धन सिंह पिता नारायण सिंह राजपूत के नाम पर दर्ज अभिलेख है। जबकि वसीयतकर्ता का दिनांक 15.03.2009 को निधन हो चुका है. इस वजह से वसीयत कानूनी रूप से प्रभावी हो चुकी है इसलिए वादीगण उक्त वसीयत के आधार पर अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने के कानूनन अधिकारी है।

2. अंत में निवेदन किया की वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमायी जाये उक्त वर्णित आराजी भूमि उक्त वसीयत के आधार पर वादीगण के खातेदारी में बराबर हक से दर्ज कराये जाने का आदेश फरमावे तथा राजस्व अभिलेख में वसीयतकर्ता श्री गोवर्धन सिंह पिता नारायण सिंह राजपूत का नाम हटाया जाकर उनके बजाय वादीगण का नाम दर्ज फरमाया जाये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:11:29 IST
Reason: SelfAttested

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 10.03.2025 को अधिवक्ता वादीगण एवं स्वयं वादी संख्या 1, 2 तथा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं स्वयं प्रतिवादी संख्या 1, 2 उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पत्रावली तलबी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा राजस्व ग्राम खातीखेड़ा, पटवार हल्का थामला, भु अभिलेख निरिक्षक थामला, तह० घासा में हाल आराजी नम्बर 4713, 4715 से 4722 तक कुल किता 09 कुल रकबा 2.1773 हैक्टेयर भुमि स्थित हैं उक्त भुमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता श्री गोवर्धनसिंह पिता नारायणसिंह राजपुत की स्वअर्जित सम्पति थी जिन्होने अपनी स्वतंत्र ईच्छा से दिनांक 13.09.2004 को वादीगण के पिता श्री सज्जनसिंह पिता किशनसिंह राजपुत को वसीयत कर दी तथा वसीयतनामें पर दो गवाहों के समक्ष श्री गोवर्धनसिंह जी ने अपने हस्ताक्षर कर दिये तब से वादीगण एवं उनके पिताजी काबिज हैं तथा वसीयतनामा का दिनांक 13.09.2004 को उपपंजीयक कार्यालय मावली में पंजीबद्ध करा दिया। उक्त आराजी के बाबत् हम प्रतिवादीगण के पिताजी ने वादीगण के पिता श्री सज्जनसिंह जी के पक्ष में विधिवत तरिके से वसीयत निष्पादित कर दी थी लेकिन हम प्रतिवादीगण के पिताजी का दिनांक 15.03.2009 को निधन हो गया हैं तथा उनके हम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विधिक वारिसान हैं। हम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व वादीगण संख्या 1 से 3 के मध्य राजीनामा हो गया हैं जो इस प्रकार हैः–

''वाद की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी की सम्पूर्ण भुमि उक्त वसीयत के आधार पर वादीगण के नाम पर बराबर–बराबर हक से खातेदारी में दर्ज फरमाई जावें जिसमें हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं हैं तथा हम प्रतिवादीगण की ओर से यह राजीनामा हमारी स्वतंत्र ईच्छा व बिना किसी दबाव से लोक अदालत की भावना से पेश कर दिया हैं।''

अंत में निवेदन किया कि उक्त राजीनामा स्वीकार फरमाया जाकर वाद की कलम संख्या 1 में उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजी की भुमि वादीगण के नाम पर कथित वसीयत के आधार पर खातेदारी में दर्ज फरमाई जावें।

4. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते [illegible] पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा निवेदन किया गया की [illegible] एवं प्रतिवादीगण लोक अदालत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pinnadia
Date: 2025.09.17 18:11:29 IST
Reason: SelfAttested

की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है। राजीनामा अनुसार डिक्री फरमाई जावे।

5. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते राजीनामे का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रदर्श 1 ग्राम खातीखेड़ा पटवार हल्का थामला तहसील घासा नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 52 पर दर्ज आराजी नम्बर 4713, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722 किता 9 कुल रकबा 2.1773 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता गोरधनसिंह पिता नारायणसिंह के नाम दर्ज है। पत्रावली में संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति अनुसार गोरधनसिंह पिता नारायणसिंह का निधन हो चुका था। उभय पक्षकारान के राजीनामा अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता/खातेदार गोरधनसिंह पिता नारायणसिंह की स्वअर्जित संपत्ति है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता/खातेदार गोरधनसिंह पिता नारायणसिंह द्वारा अपनी जीवनकाल में ही प्रदर्श–2 रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 13.09.2004 को वादीगण के पिता/मौरूस सज्जनसिंह पिता किशनसिंह के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया। रजिस्टर्ड वसीयतनामा की कलम संख्या 1 में उक्त वादग्रस्त आराजीयात अंकित है तथा कलम संख्या 2 में स्पष्ट अंकित है कि मेरी अंतिम वसीयत है जो मेरे मरने के पश्चात उक्त वर्णित भूमि का मालिक वसीयत गृहीता द्वितीय पक्षकार होगा। जो राजस्व रेकर्ड में अपने नाम पर करा सकेगा। अन्य को रहन, बैह आदि करने का अधिकार रहेगा। वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार वसीयत ग्रहीता वादीगण के पिता सज्जनसिंह एवं उनकी पत्नी का निधन हो चुका है। इस प्रकार वसीयत ग्रहीता के वारीस वादीगण ही है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि खातेदार गोरधनसिंह पुत्र नारायणसिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि की वसीयत वादीगण के पिता के पक्ष में की गई। उभय पक्षकारान के राजीनामा अनुसार उक्त भूमि खातेदार गोरधनसिंह की स्वअर्जित सम्पति थी। स्वअर्जित सम्पति का खातेदार को वसीयत करने का पूर्ण अधिकार है। ऐसे में खातेदार की मृत्यु के पश्चात रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर स्वतः ही वादीगण के पिता किश[illegible]दग्रस्त भूमि के खातेदार हो चुके थे। वादीगण के पिता किशनसिंह के [illegible] के पश्चात वादीगण खातेदार हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi [illegible]
Date: 2025.09.17 18:11:29 IST
Reason: SelfAttested

चुके थे। केवल मात्र वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नही हुआ। खातेदार के वारिसान भी स्वीकार कर रहे है कि वादग्रस्त भूमि की वसीयत वादीगण के पिता के पक्ष में की गई है। वादीगण को वादग्रस्त का भूमि खातेदार घोषित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी संख्या 1, 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते राजीनामे का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते राजीनामा का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि ग्राम खातीखेड़ा पटवार हल्का थामला तहसील घासा नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 52 पर दर्ज आराजी नम्बर 4713, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722 किता 9 कुल रकबा 2.1773 हैक्टेयर भूमि खातेदार गोरधनसिंह पुत्र नारायण सिंह के नाम दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:11:29 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री पुष्पेन्द्र सिंह पिता श्री सज्जन सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी थामला, तहसील घासा जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री कैलाश सिंह पिता श्री सज्जन सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी धामला, तहसील घासा जिला उदयपुर (राज०)
3. विष्णु कुंवर पुत्री श्री सज्जन सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी थामला, तहसील घासा जिला उदयपुर (राज)

.....वादीगण

बनाम

1. श्री भेरू सिंह पिता श्री गोवर्धन सिंह चुण्डावत जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी कालियास, पो० रायला रोड़, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा (राज०)
2. उमा कुंवर पुत्री श्री गोवर्धन सिंह चुण्डावत जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी कालियास, पो० रायला रोड़, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा (राज०)
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठीत धारा 151 सीपीसी वास्ते राजीनामा

मुकदमा न0 : 156/24 (वाद) GCMS No. – 2024/354

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते राजीनामा का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि ग्राम खातीखेड़ा पटवार हल्का थामला तहसील घासा नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 52 पर दर्ज आराजी नम्बर 4713, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722 किता 9 कुल रकबा 2.1773 हैक्टेयर भूमि खातेदार गोरधनसिंह पुत्र नारायण सिंह के नाम दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27.05.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:11:29 IST
Reason: SelfAttested